



प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश,

कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक:

24 नवम्बर, 2025

विषय:- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्टैंड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2024-2025 के अवशेष लक्ष्यों की वर्ष 2025-2026 में पूर्ति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सोलर/391/पीएम-कुसुम/कार्ययोजना/2025-26, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पी0एम0-कुसुम) योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्टैंड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 2024-2025 के अवशेष लक्ष्यों की वर्ष 2025-2026 में पूर्ति निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. भारत सरकार के मिनिस्ट्री आफ न्यू एण्ड रिन्यूवेबल एनर्जी के पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिवीजन, दिनांक 22.07.2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन एवं पत्र संख्या-32/645/2017-एस.पी.वी. डिवीजन, दिनांक 17.01.2024 द्वारा निर्गत कम्प्रेहेन्सिव गाइडलाइन के अनुसार निविदा मूल्य अथवा बेन्चमार्क मूल्य में जो भी कम होगा, उस पर एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न क्षमता के 1 एच0पी0 से 7.5 एच0पी0 तक के स्टैंड एलोन सोलर पम्पों की स्थापना पर 30 प्रतिशत तथा 10 एच0पी0 के सोलर पम्प पर 7.5 एच0पी0 के सोलर पम्प पर देय अनुदान अनुमन्य है। भारत सरकार द्वारा अनुदान में परिवर्तन करने पर देय अनुदान परिवर्तित हो जायेगा।
2. गत वर्ष की भाँति वर्ष 2025-26 की योजना में केन्द्रांश की अनुमन्यता बेन्चमार्क मूल्य पर आधारित है। बेन्चमार्क मूल्य टेण्डर मूल्य से कम होने के फलस्वरूप सोलर पम्पों के कुल मूल्य (टेण्डर मूल्य) पर कृषकों को 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य कराने हेतु अतिरिक्त धनराशि को राज्य सरकार के अंश से टाप-अप के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। अवशेष 40 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में लाभार्थी कृषक के द्वारा वहन किया जायेगा।
3. एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार के पत्रांक-32/54/2018-एस.पी.वी.डिवीजन पार्ट(2), दिनांक 01.01.2024 द्वारा 50000 सोलर पम्प एवं पत्रांक-32/54/2018-एस.पी.वी. डिवीजन पार्ट(2), दिनांक 25.06.2024 द्वारा संशोधित स्वीकृत लक्ष्य 54000 सोलर पम्पों के स्थापना की वैधता अवधि दिनांक 31.12.2025 तक है, जिसको भारत सरकार की गाइडलाइन में 3 माह तक समय विस्तार किये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 54000 सोलर पम्पों के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति से अवशेष 40521 सोलर पम्पों की स्थापना वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाना है, जिसका वित्तीय लक्ष्य निम्नवत है:-

(धनराशि करोड़ ₹0 में)

क्र.सं.	वर्ष	केन्द्रांश	राज्यांश			निविदा मूल्य पर कुल अनुदान 60 प्रतिशत	कृषक अंश 40 प्रतिशत
		बेन्चमार्क मूल्य पर 30 प्रतिशत	बेन्चमार्क मूल्य पर 30 प्रतिशत	टाप-अप	योग		
1	2025-2026	332.83	332.83	92.45	425.28	758.11	564.34

4. उक्त के अतिरिक्त कृषकों के प्रक्षेत्रों पर गत वर्ष के स्थापना हेतु क्रमिक 3996 सोलर पम्प जिसके राज्यांश की लम्बित धनराशि रु0 39.51 करोड़ का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में किया जायेगा।
5. सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य/देय अनुदान पर निर्भर करेगा। जनपदीय आवश्यकता/मांग के आधार पर जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण एवं संशोधन कृषि निदेशक के स्तर पर किया जायेगा।
6. बेन्चमार्क/टेण्डर मूल्य में परिवर्तन होने पर एम0एन0आर0ई0, भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन में दिये गये निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान परिवर्तनीय रहेगा।
7. जी०एस०टी० की दरें घटने / बढ़ने पर राज्यांश, केन्द्रांश एवं कृषक अंश तदनुसार परिवर्तित हो जायेगा।
8. कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत कृषकों का चयन टोकन प्रक्रिया के आधार पर "लॉटरी के माध्यम से" किया जायेगा। आवेदन के समय कृषक को रु0 5000/- टोकन मनी के रूप में आनलाइन जमा करना होगा।

योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता कृषकों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से कराये जाने हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है :-

जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
उप कृषि निदेशक	सदस्य सचिव
जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
प्रगतिशील कृषक(अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य

9. आपूर्तिकर्ता फर्म को सोलर पम्प की स्थापना के उपरान्त पाँच वर्ष के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा। स्थापित सोलर पम्पों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक जनपद में अधिकृत सेवा केन्द्र की स्थापना के साथ हिन्दी/अंग्रेजी में हेल्पलाइन नम्बर भी निर्गत किया जायेगा। हेल्पलाइन नम्बर, पम्प अथवा कन्ट्रोलर के उपयुक्त स्थान पर अंकित किया जायेगा जो सोलर पम्प के उपयोगकर्ता को आसानी से दिखाई दे।
10. योजनान्तर्गत स्थापित सोलर पम्पों के शतप्रतिशत सत्यापन पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। योजना का मूल्यांकन 03 वर्षों के पश्चात थर्ड पार्टी से स्वतंत्र रूप से कराया जायेगा।
11. इस संबंध में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन मा० मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।
12. प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रम एवं पूर्व से संचालित अन्य योजना / कार्यक्रमों से द्विरावृत्ति (Duplicacy) न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।
13. प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या-1018/12-3-2020-100(10)/2014टी.सी.-I, दिनांक 23.07.2020, शासनादेश संख्या-38/2024/587/12-5099/17/2024(पार्ट-2), दिनांक 29.05.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
कृपया तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन / वित्त / न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
4. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी(पीएम-कुसुम), कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक / उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा
अनु सचिव।